



## भैस चोरी करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार

- भैस चोरी करके लोडर में भरकर सरसौल बाजार में बेचते समय 04 अभियुक्त गिरफ्तार
- पुलिस एक अदद तमन्चा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस भी किया बरामद
- थाना महाराजपुर पर मु0अ0स0 424/23 धारा 41/411 भादवि व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व मु0अ0सं0 425/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग किया गया पंजीकृत।

कानपुर: दिनांक 26.11.23 की रात्रि मे ग्राम पचुल्ला चौकी क्षेत्र जमालपुर थाना कोतवाली जनपद बाँदा से 03 राशि छोटी बडी भैस चोरी करके लोडर मे भरकर सरसौल बाजार मे बेचते समय 04 अभियुक्तो को मय एक अदद तमन्चा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ बरामदगी/गिरफ्तारी

-अभियुक्तगणो की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना महाराजपुर पर मु0अ0स0 424/23 धारा 41/411 भादवि व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व मु0अ0सं0 425/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग किया गया पंजीकृत।

### घटनाक्रम का विवरण

दिनांक 27.11.23 को मुखबीर की सूचना मिली की जनपद बाँदा से कुछ चोर भैस चोरी करके पिकप मे लाकर सरसौल बाजार मे बेचने जा रहे है । इससूचना पर थाना महाराजपुर पुलिस द्वारा सरसौल बाजार से दिनांक 28.11.23 को रात्रि 01.10 बजे सरसौल बाजार से अभियुक्त 1. स्वयंवर बाबू प्रजापति पुत्र गयादीन नि0 तनगामऊ थाना जसपुरा जनपद बाँदा उम्र 30 वर्ष 2.रोशन पुत्र योगेश कुमार द्विवेदी नि0 ग्राम व थाना जसपुरा जनपद बाँदा उम्र 21 वर्ष 3.बिन्दा पुत्र रामभजन वर्मा नि0 मोहल्ला बाबा तालाब थाना जमालपुर जनपद बाँदा उम्र 32 वर्ष 4. सुनील कुमार प्रजापति पुत्र चुनवादा नि0 ग्राम बिसण्डा थाना बिसण्डा जिला बाँदा उम्र 20 वर्ष को एक लोडर मे 03 राशि छोटी व बडी भैस व अभियुक्त स्वयंवर बाबू प्रजापति पुत्र गयादीन नि0 तनगामऊ थाना जसपुरा जनपद बाँदा उम्र 30 वर्ष के कब्जे से एक अदद तमन्चा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस के बरामद किया गया । अभियुक्तगणो की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 424/23 धारा 41/411 भादवि व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व मु0अ0सं0 425/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



## आपराधिक इतिहास

1. स्वयंबर बाबू प्रजापति पुत्र गयादीन नि० तनगामऊ थाना जसपुरा जनपद बाँदा उम्र 30 वर्ष-  
मु०अ०सं० 424/23 धारा 41/411 भादवि व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना महाराजपुर कानपुर नगर ।  
मु०अ०सं० 425/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना महाराजपुर कानपुर नगर ।

2. रोशन पुत्र योगेश कुमार द्विवेदी नि० ग्राम व थाना जसपुरा जनपद बाँदा उम्र 21 वर्ष -  
मु०अ०सं० 424/23 धारा 41/411 भादवि व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना महाराजपुर कमि० कानपुर नगर

3. बिन्दा पुत्र रामभजन वर्मा नि० मोहल्ला बाबा तालाब थाना जमालपुर जनपद बाँदा उम्र 32 वर्ष-

मु०अ०सं० 424/23 धारा 41/411 भादवि व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना महाराजपुर कमि० कानपुर नगर

4. सुनील कुमार प्रजापति पुत्र चुनवादा नि० ग्राम बिसण्डा थाना बिसण्डा जिला बाँदा उम्र 20 वर्ष-  
मु०अ०सं० 424/23 धारा 41/411 भादवि व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना महाराजपुर कमि० कानपुर नगर

## गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री अभिषेक शुक्ल
2. उ०नि० श्री अरुण कुमार
3. उ०नि० श्री प्रदीप कुमार
4. हे०का० बच्चालाल
5. का० नवीन कुमार